

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन

क्रमांक 317/2402//2001सी/चार

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिशनर
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के नियम-10(2) के संबंध में स्पष्टीकरण।

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के नियम-10(2) के अंतर्गत ऐए प्रकरणों में जहां पदोन्नति के पूर्व एवं पदोन्नति के पश्चात् के विद्यमान वेतनमान पृथक-पृथक थे तथा ऐसे दोनों विद्यमान वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतनमान एक ही नियत किया गया है वहां पदोन्नति पश्चात् के विद्यमान वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवक को इन नियमों के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में रूपये 250/- प्रतिमाह विशेष वेतन की पात्रता होगी, का प्रावधान है।

2. इस संबंध में कठिपय कर्मचारी संघों ने उक्त नियम-10 (2) के अंतर्गत विशेष वेतन की पात्रता के संबंध में अनेक उत्पन्न भ्रांतियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामान्य परिपत्र सभी विभागों के लिए जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. अतः उक्त नियम-10 (2) के प्रावधानों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1.1.96 या उसके पश्चात् विद्यमान वेतनमान क्लबिंग के कारण एक हो जाने से पुनरीक्षित वेतनमान में पदोन्नति के पश्चात् के वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवक को पुनरीक्षित वेतनमान के साथ रूपये 250/- विशेष वेतन की पात्रता होगी। ऐसे शासकीय सेवक को पदोन्नति पर मूलभूत नियम -22 (डी) अथवा 22 (ए) (1) का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा एवं जिनकी पदोन्नति 1.1.96 के पूर्व हुई है उन्हें रूपये 250/- विशेष वेतन की पात्रता नहीं होगी। इन निर्देशों के तहत यदि विशेष वेतन रूपये 250/- का भुगतान यदि किया गया है तो उसकी वसूली कार्यालय प्रमुख द्वारा किस्तों में समायोजित कर, ली जाये।

4. वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 1777/1087/2000/सी/चार दिनांक 1.6.2000 द्वारा वन संरक्षक उज्जैन वृत को दिया गया मार्गदर्शन भी निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अशोक दास)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि : -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य)
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. निकंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
5. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, डी.के. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य)
8. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. निज सचिवनिज सहायक, ----- मंत्रीराज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल
13. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुरइंदौरग्वालियर
14. महाधिवक्ताउपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुरभोपालइंदौरग्वालियर
15. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)(आडिट)-12 मध्यप्रदेश, ग्वालियरभोपाल ।
16. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डलमाध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल
17. प्रमुख सचिवसचिवउप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
18. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
19. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखाअधीक्षण शाखाअभिलेखमुख्य लेखा अधिकारी) वल्लभ भवन, भोपाल ।
20. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल
21. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य)
22. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेशन, मध्यप्रदेश ।
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
24. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.एन. पंत)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त
विभाग